

दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय
सेमेस्टर प्रणाली के अन्तर्गत परास्नातक उपाधि हेतु संशोधित अध्यादेश 2016

1. **प्रस्तावना:** दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के कला, वाणिज्य, विज्ञान एवं शिक्षा संकाय के अन्तर्गत संचालित समस्त परास्नातक उपाधि पाठ्यक्रम कुल चार सेमेस्टर के होंगे। प्रत्येक सेमेस्टर में प्रति सप्ताह तीस घण्टा और शिक्षण के तेरह सप्ताह की शिक्षण अवधि निम्नानुसार होगी:

2. **सेमेस्टर की कालावधि:**

| | | |
|----------------------------------|---|----------------------|
| प्रथम एवं तृतीय (विषम) सेमेस्टर | – | जुलाई से नवम्बर तक |
| द्वितीय एवं चतुर्थ (सम) सेमेस्टर | – | दिसम्बर से अप्रैल तक |

3. **प्रवेश:** दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से सम्बन्धित विषय में त्रिवर्षीय स्नातक उपाधि प्राप्त अभ्यर्थी प्रवेश के लिए अर्ह होंगे जिसमें प्रवेश इसके प्रवेश परीक्षा परिणाम के श्रेष्ठताक्रम के अनुसार होगा।

4. **परीक्षा:** (i) प्रथम एवं तृतीय (विषम) सेमेस्टर में प्रविष्ट विद्यार्थी उसके दोनों सेमेस्टरों (सम व विषम) में शिक्षण प्राप्त कर सकेंगे और सैद्धान्तिक एवं प्रायोगिक कक्षाओं में अलग-अलग न्यूनतम पचहत्तर प्रतिशत (75%) अनिवार्य उपस्थिति होने पर ही उनकी परीक्षाओं में सम्मिलित हो सकेंगे। प्रथम सेमेस्टर के सभी प्रश्नपत्रों की परीक्षा में अनुपस्थित विद्यार्थी का प्रवेश स्वतः निरस्त हो जायेगा। किसी सेमेस्टर की प्रायोगिक/मौखिकी/प्रोजेक्ट की छूटी परीक्षा के लिए विश्वविद्यालय के नियमानुसार मात्र एक अवसर और दिया जायेगा। किसी सेमेस्टर की परीक्षा में उत्तीर्ण भूतपूर्व विद्यार्थी (Ex-Student) को उक्त सेमेस्टर की परीक्षा नहीं देनी होगी। उसके उस सेमेस्टर के अंक संरक्षित (Reserve) रहेंगे, जिसे वह उत्तीर्ण कर चुका है। एक या अधिक सेमेस्टर उत्तीर्ण अभ्यर्थी अधिकतम एक वर्ष के अन्तराल तक ही (किसी अन्य पूर्णकालिक पाठ्यक्रम में पंजीकृत न होने व/का शपथपत्र प्रस्तुत कर) अगले सेमेस्टर में प्रवेश हेतु अर्ह होंगे।

(ii) पाठ्यक्रम के प्रत्येक प्रश्नपत्र (मौखिकी/प्रायोगिक सहित) का पूर्णांक 100 अंक होगा। सेमेस्टर उत्तीर्ण करने के लिए उसके प्रत्येक सैद्धान्तिक प्रश्नपत्र में न्यूनतम 20 प्रतिशत अंकों के साथ सैद्धान्तिक प्रश्नपत्रों के योग में न्यूनतम 36% तथा मौखिकी/प्रायोगिक/प्रोजेक्ट कार्य में अलग से न्यूनतम 36% अंक पाना अनिवार्य होगा।

(iii) ऐसे विद्यार्थी जो सैद्धान्तिक प्रश्नपत्रों में से एक या अधिक में निर्धारित न्यूनतम उत्तीर्णांक बीस प्रतिशत (20%) न प्राप्त किये हों, किन्तु उस सेमेस्टर के सभी सैद्धान्तिक प्रश्नपत्रों के योग का छत्तीस प्रतिशत (36%) या अधिक प्राप्त किये हों, वे अगले सेमेस्टर में प्रोन्नत हो सकेंगे। ऐसे विद्यार्थियों को अगले सेमेस्टर की नियमित परीक्षा के साथ पिछले सेमेस्टर के उन प्रश्नपत्रों जिनमें बीस प्रतिशत (20%) से कम अंक मिले हों, की भी परीक्षा देनी होगी और प्रत्येक प्रश्नपत्र के लिए निर्धारित न्यूनतम उत्तीर्णांक बीस प्रतिशत (20%) प्राप्त करना होगा।

(iv) ऐसे विद्यार्थी जो सैद्धान्तिक प्रश्नपत्रों में से प्रत्येक में 20% या अधिक अंक प्राप्त किये हों, किन्तु उस सेमेस्टर के सभी सैद्धान्तिक प्रश्नपत्रों के योग का 36% न प्राप्त किये हों, वे भी अगले सेमेस्टर में प्रोन्नत हो सकेंगे। इन्हें भी आगामी सेमेस्टर के संगत व नियमित परीक्षा के साथ पिछले सेमेस्टर के अधिकतम दो प्रश्नपत्रों का चयन कर उसकी/उनकी परीक्षा देनी होगी और सम्बन्धित सेमेस्टर के सिद्धान्त प्रश्नपत्रों के योग का न्यूनतम 36% अंक प्राप्त कर लेना होगा।

(v) अन्तिम सेमेस्टर की परीक्षा के उपरान्त यदि किसी विद्यार्थी का किसी भी सेमेस्टर (प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ) की परीक्षा में बैक पेपर रह जाता है, तो वह उसी क्रम में अगले सेमेस्टर की परीक्षा के साथ उत्तीर्ण कर सकता है। यह सुविधा केवल एक बार ही दी जायेगी। परन्तु अन्तिम सेमेस्टर से पूर्व यह अवसर अधिकतम दो बार हो सकता है। इस अवसर में भी अनुत्तीर्ण रहने के बाद विद्यार्थी आगामी परीक्षा में भूतपूर्व परीक्षार्थी के रूप में परीक्षा में सम्मिलित हो सकता है।

(vi) प्रत्येक सेमेस्टर का परीक्षाफल "उत्तीर्ण", "बैक पेपर/प्रोन्नत" या "अनुत्तीर्ण", जैसी स्थिति हो, घोषित होगा। प्रथम व तृतीय सेमेस्टर के बैक पेपर जो उपर्युक्त प्रस्तर 4(iii) व 4(iv) के अनुसार दिये गये हों, का परीक्षाफल क्रमशः द्वितीय व चतुर्थ सेमेस्टर के परीक्षाफल के साथ ही घोषित होगा। प्रथम/तृतीय सेमेस्टर उत्तीर्ण किन्तु द्वितीय/चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा में सम्मिलित न होने वाले विद्यार्थी अगले वर्ष द्वितीय/चतुर्थ सेमेस्टर में शिक्षण प्राप्त कर उसकी परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं।

(vii) अन्तिम परीक्षाफल सभी चार सेमेस्टर के प्राप्तांकों के योग के आधार पर निम्नलिखित मानक के अनुसार घोषित किया जायेगा:

प्रथम श्रेणी : पूर्णांक का 60% या उससे अधिक अंक प्राप्तांक पर;

द्वितीय श्रेणी : पूर्णांक का 48% या उससे अधिक किन्तु 60%से कम अंक प्राप्तांक पर;

तृतीय श्रेणी : पूर्णांक का 36% या उससे अधिक किन्तु 48%से कम अंक प्राप्तांक पर।